



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)
6th Floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan, Khan Market, New Delhi – 110003
Website : www.ncst.nic.in, Tol Free No.1800117777

Inviting Expression of Interest (EoI)

भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूर्ण होने के महत्वपूर्ण अवसर पर "आज़ादी के अमृत महोत्सव" के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने देश के विभिन्न प्रदेशों में जनजाति संबन्धित विषयों के सन्दर्भ में व्यापक स्तर पर प्रचार- प्रसार व संवाद अभियान संचालित कर रहा है। इसमें विभिन्न सामाजिक मीडिया (Social Media) की महत्वपूर्ण भूमिका है।

सामाजिक मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका के आलोक में आयोग द्वारा समाज के विभिन्न घटकों को आयोग के संवैधानिक अधिकार, कर्तव्यों तथा दायित्वों के विषय में अवगत कराने हेतु विभिन्न Social Media Platforms की सशक्त उपस्थिति सुनिश्चित करनी प्रस्तावित है।

विषय :- Social Media – Content Development & Management

(The overall Social Media Development platform, designing and strategy content of all the art work and creativity required for the communication of the Commission)

इस हेतु से उपरोक्त विषय पर अभिहस्तांकन करने के इच्छुक संस्थानों/ संगठनों को अपनी रुचि की अभिव्यक्ति (EoI) अवर सचिव, एनसीएसटी, नई दिल्ली को us@ncst.nic.in पर दिनांक 18/11/2022, सांय 6:00 बजे तक जमा करनी होगी।

रुचि की अभिव्यक्ति (EoI) में विषय (Subject), कार्य का दायरा (Scope of Work), वित्तीय संभावनाएं (Financial Implications) एवं संविदा अवधि (Contract Period) सम्मिलित होनी चाहिए।